(c) if so, the assessment of factors responsible for the hike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) There is no variance in the assessment placed by the Cabinet Secretary in the recent meeting with the Chief Secretaries of the State Government.

(c) Does not arise.

Lapse of essential commodititcs Ordinance

1438A SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the "Essential Commodities Act" implemented against the hoarders, black-marketeers and profit makers for the last 16 years is no more effective at present;

(b) the reasons on the basis of which the Government allowed the ordinance to this effect be lapsed in July, 1998;

(c) whether it is also a fact that the States were in favour of continuation of this law when their opinion was sought in this regard last year; and

(d) the complete details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL, SINGH VADAV): (a) and (b) The Essential Commodities Act, 1955 is in force. However, the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 which was enacted to make certain special provisions by way of amendments to the Essential Commodities Act, 1955 lapsed on 31.8.1997, After the lapse of Essential commoditites (Special Provisions) Act, 1981 on 31.8.97 two ordinances namely the Essential Commoditites (Special Provisions) Ordinace, 1997 and Essential Commodities (Special Provisions) Second Ordinance 1998 were promulgated on 3.10.97 and 2.1.98 respectively on the lines of the Act. Meanwhile, an Expert Group constituted following the directions of the Government recommended incorporation of the important features of the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 in the Essential Commodities Act, 1955. Accordingly, an ordinance, the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1998 was promulgated on 25.4.1998 and also the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998 was moved to replace the ordiance. While the Bill was under consideration of the Parliament, the ordinance lapsed. The Bill has been referred to the Joint Parliamentary Committee.

(c) and (d) Yes sir, Except Bihar, Nagaland Manipur and Sikkim and the Union Territory of Daman & Diu which did not respond on the subject, and all other State Govts, and Union Territories have expressed the view that the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 had proved to be useful and should be continued further. Some State Govts, had, however, suggested modifications to some of the provisions of the Act.

आयोडीनयुक्त नमक से बढ़ रही थायरायड की समस्या

1439. **श्री रामजीलाल** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:,

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1998 के राष्ट्रीय सहारा में "आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री से थायाराइड समस्या बढ़ी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों की राय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) लोक हित में सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राज्यों के स्वास्थ्य निदेशालयों , भारतीय चिकित्सा अनुसंधान

परिसर तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चलता हैं कि कोई भी राज्य/संघ क्षेत्र, आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों से मुक्त नहीं है। जिन 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 275 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 235 जिले इन्डेमिक (स्थानिकमारी से ग्रस्त) हैं, जहां यह 10% से अधिक फैली हुई हैं। देश तथा साथ ही विश्व स्वस्थ्य संगठन, यूनीसेफ इन्टरेशनल काउंसिल फार कंट्रोल आफ आयोडिन डेफिसिएन्सी डिसआर्डर्स के विशेषज्ञों ने आयोडिन की कमी से होने वाली खराबियों को रोकने, नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सस्ते तरीके के रूप में आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की सिफारिश की हैं। भारत सरकार ने सार्वजानिक हित में नेशनल आयोडिन डेफिसिएन्सी डिसआर्डन कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आयोडिनयुक्त नमक को आपत्ति करना कार्यक्रम की मुख्य कार्य नीतियों में से एक है, को सारे देश में लागू करने का निर्णय किया हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर पूरी रोक है, जबकि राज्यों में इस पर आंशिक रूप से रोक हैं। केरल राज्य में इस पर कोई रोक नहीं हैं।

देश के विभिन्न भागों में घेघा तथा आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य खराबियों पर आयोडीनयुक्त नमक के प्रभाव के बारे में समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चला हैं कि पौषणिक आयोडिन की कमी से होने वाली खराबियों में उल्लेखनीय कमी आई हैं।

दलों के निर्यात पर रोक लगाया जाना

1440. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री कपिल सिब्बल :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि देश में दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अक्तूबर, 1998 के अंत में सरकार द्वारा संबंधित विभाग को दालों के निर्यात पर रोक लगाने संबंधी सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दालों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबंध किस तारीख से लागू किया गया था?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) दलों सहित खाद्यान्नों की निर्यात-आयात नीति संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय की जाती हैं। वर्तमान निर्यात-आयात के अनुसार दालों का 5 किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैक में मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हैं। दालों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हैं।

Time-Limit for Adjudication of Complaints under Consumer Protection Act

1441. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the consumer protection Act, 1986 stipulates a time limit of 90 days for adjudication of complaints;

(b) if so, the details thereof;

(c) the percentage of cases filed before the district forums and state commissions which are disposed off within the stipulated time limit;

(d) whether the recommendations of the working group constituted in 1994 have been implemented; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) According to the provisions of the Consumer protection Act, 1986 and the Rules framed thereunder the State Commission and the district for a set up under the Act are required to dispose of complaints, as far as possible, within 90 days from the date of receipt of the Notice by the opposite party and within 150 days if it requires analysis or testing of the commodity in question. The National Commission is required to dispose of appeals, as far as possible, within 90 days from date of first hearing.

(c) As per the information made available by the States/UTs., 31% and 25% cases were disposed of within 90 days and